राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 625 दिनांकः 30.01.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 17 / 2279–80 दिनांक 22.01.2018 से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड के अभियोग सं0 17 / 18 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लीलाधर उर्फ ललित पुत्र रामचन्द्र जाति सुमन उम्र 20 साल निवासी डोलर वालो का मोहल्ला, झालावाड थाना कोतवाली झालावाड जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.01.2017 को श्री नैनूराम उप निरीक्षक मय जाप्ता वास्ते गश्त रोकथाम, अवैध कार्य धरपकड बदमाशान हेतु थाने से रवाना होकर गागरोन गेट मेन तिराहा की तरफ जा रहा था कि डोर वालो के मोहल्ले की गली से एक लडका मैन रोड पर निकला जो पुलिस जीप को देखकर भागने लगा व कुछ छुपा हुआ सामान हाथ मे होने से संदेह हुआ जिसको हमराही जाप्ते से पीछा कर डिटेन किया जिससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लीलाधर उर्फ ललित पुत्र रामचन्द्र जाति सुमन उम्र 20 साल निवासी डोलर वालो का मोहल्ला, झालावाड थाना कोतवाली झालावाड जिला झालावाड बताया। जिसकी तलाशी ली गई तो एक टोपीदार बन्दूक दो नाली जोडला मिली। जिसके अनुज्ञापत्र बावत पूछा तो अपने पास अनुज्ञापत्र होना नही बताया। मौके पर कार्यवाही कर वापसी थाना पर अपराध सं. 17 / 18 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट मे पंजीबद्व कर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया गया। फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये। अभियुक्त लीलाधर को गिरफतार कर अनुसंधान किया गया। जप्तशुदा दो नाली बदूंक जोडला का मेकेनिक मुआयना आरर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से कराया जाने पर बायी तरफ का ट्रेगर मेकेनिज्म सही कार्य नही करने के कारण बायी तरफ की बैरल से फायर नही किया जा सकता है। दाहिने तरफ के सभी पार्टसा हेमर, ट्रेगर, चांप, लोग, मैन स्प्रिग सही कार्यरत है। जिनसे फायर किया जा सकता है। बायी तरफ के पार्टस की रिपेयर के बाद फायर किया जा सकता है। उक्तदो नाली बदूंक फायर आर्म्स की परिभाषा मे आना बताया। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र नही होना पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नैनूराम उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली झालावाड व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यशवंत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सीलड दो नाली बदूंक जोडला को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सीलड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त लीलाधर उर्फ ललित पुत्र रामचन्द्र जाति सुमन उम्र 20 साल निवासी डोलर वालो का मोहल्ला, झालावाड थाना कोतवाली झालावाड जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

माँ घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती

E/Proceeution Senction

जगमग झालावाड